न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 19 / 2022

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2022 / 32

प्रार्थी / अपीलार्थी :–

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोण्डेट्स:–

1. श्री उमेश चन्द्र वैष्णव पुत्र श्री सत्य नारायण वैष्णव निवासी 189, कंधारवाडी, मस्जिद के पास, तहसील व जिला बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता)
2. श्रीमती गायत्री देवी वैष्णव पत्नी उमेश चन्द्र वैष्णव निवासी 189, कंधारवाडी, मस्जिद के पास, तहसील व जिला बॉसवाडा (सह ऋणी)
3. श्री विवेक वैष्णव पुत्र उमेश चन्द्र वैष्णव निवासी 189, कंधारवाडी, मस्जिद के पास, तहसील व जिला बॉसवाडा (सह ऋणी)
4. श्री पवन गृहस्थी पुत्र श्री महेश गृहस्थी निवासी मस्जिद के सामने, कंधारवाडी, तहसील व जिला बॉसवाडा (जमानतदार)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 17–06–2022

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री उमेश चन्द्र वैष्णव पुत्र श्री सत्य नारायण वैष्णव निवासी 189, कंधारवाडी, मस्जिद के पास, तहसील व जिला बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता) 2– श्रीमती गायत्री देवी वैष्णव पत्नी उमेश चन्द्र वैष्णव निवासी 189, कंधारवाडी, मस्जिद के पास, तहसील व जिला बॉसवाडा (सह ऋणी) 3– श्री विवेक वैष्णव पुत्र उमेश चन्द्र वैष्णव निवासी 189, कंधारवाडी, मस्जिद के पास, तहसील व जिला बॉसवाडा (सह ऋणी) 4– श्री पवन गृहस्थी पुत्र श्री महेश गृहस्थी निवासी मस्जिद के सामने, कंधारवाडी, तहसील व जिला बॉसवाडा (जमानतदार) को दिनांक 30–03–2017 को राशि रुपया 2,00,000 (अक्षरे दो लाख रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 31–01–2021 को अनुत्पादित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:45 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 02–03–2021 को कुल बकाया राशि 1,26,000 रू. (एक लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरीटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण **श्री उमेश चन्द्र वैष्णव पुत्र श्री सत्य नारायण वैष्णव की सम्पत्ति जो पट्टा संख्या 1623, कंधारवाडी, मस्जिद के सामने, नगर पालिका बॉसवाडा, जिला बॉसवाडा पर स्थित है** जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पति का अभिन्न अंग है, जिसका माप लगभग **600 वर्ग फीट है**, जिसके **पूर्व में श्री सेवादास गृहस्थी का मकान, पश्चिम में दिनेश वैष्णव का मकान, उत्तर में श्री मोहनदास का मकान, दक्षिण में रोड है**, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप–खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 17–03–2021 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 06.05.2022 को जारी किये गए। अप्रार्थी सं. 1 से 4 के नोटिस दिनांक 26.05.2022 को बाद तामील प्रस्तुत हुए अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने उपस्थित होकर ऋण राशि जमा कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। अप्रार्थी सं 3 व 4 अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात से आज दिनांक तक अप्रार्थीगण सं.1 से 4 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 का जवाब बंद किया जाता है, नोटिस बाद तामील प्रस्तुत होने पर भी अप्रार्थीगण सं 3 से 4 लगातार अनुपस्थित है। अतः समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक तरफीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:45 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 17–06–2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 17–06–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:00:45 IST
Reason: SelfAttested